

नाके दिये जा चुके हैं अन्तम मॉर  
दिया जाला है पत्रावली वाले जवाब  
दिनांक 24.12.18 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी  
करौली (राज०)

24<sup>12</sup>/<sub>18</sub>

उपखण्ड P.O. साहय अख्य राज्य कार्य में व्यस्त होने के  
कारण दिनांक 24.12.18 को  
विभाग में उपस्थित की  
सुबहाद दिनांक 28.12.18 को  
से आवेगी।

28-12-18

कमील फौज के उपस्थित कमील डोर सापलाग के  
जवाब T-5. प्रेष किया जो शामिल पत्रावली  
किया गया गमल कमील सापलाग को पिलक  
गई यह T-9. कमील उग्रपक्ष सुनी गई  
पत्रावली का अवलोकन किया गया विवरित  
आराजीयात खसरा नम्बर 4882, 4883,  
4885 कुल बिल 3 कुल रकम 19 बिस्वा  
कस्वा कपौली लखील कपौली सापलाग के  
खातेदारों की भूमि है एवं खसरा नम्बर  
4881 रकम 12 कीया 3 बिस्वा कस्वा कपौली  
डोर सापलाग नं. 1 के खातेदारों की भूमि है  
प्रकरण में उग्र पक्ष के मध्य सीमा का  
सुझाकी विवाद है इसलिए प्रथम दृष्टया  
उग्र पक्षकारण को भूमि में निर्माण होने  
से एक हकुक प्रभावित होना फलक होता है  
इसलिए डोर सापलाग के सापलाग की  
खातेदारों भूमि में निर्माण नहीं करने का  
पावन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व  
अहकाम  
हुक्म क  
में जारी

अतः शर्कना पत्र सापलाग विरुद्ध गैरसापलाग  
ओब्रिग स्क्रीमा रिपा जाग है और  
सापलाग को ना फ़ैसला वाद पत्र लखय  
नम्बर 4882, 4883, 4885 कुल किता  
उकुल रक्का 19 विस्का कस्का कपौली  
तहसील कपौली में निर्माण नही करे।  
यदि गैर सापलाग आशजी लखय कस्का  
4881 रक्का 12 कीथा उविस्का में निर्माण  
करना यादते है तो उन्हे क्विडिट  
आशजीपाट का सीमांकन होने के  
उपरान्त निर्माण करने को गैरसापलाग  
स्वतन्त्र रहेगी पत्रावली फ़ैसलशुमार  
होका नम्बर सेकन होका मूल दावा  
के साथ सिलाग रहे।

जाग

उपखण्ड जज करौली (राजग)